न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

अपील संख्या : 15/349

1. बलवन्त सिंह आत्मज श्री बख्तावर सिंह जाति पंजाबी निवीस बडानयागॉव तहसील हिण्डोली जिला बून्दी (मृतक) जरिये कायममुकामान :–
   1/1. सतवीर सिंह आत्मज स्व0 श्री बलवन्त सिंह जाति पंजाबी निवीस बडानयागॉव तहसील हिण्डोली जिला बून्दी ।
   1/2. बलजीत सिंह आत्मज स्व0 श्री बलवन्त सिंह जाति पंजाबी निवीस बडानयागॉव तहसील हिण्डोली जिला बून्दी ।
   1/3. सूरजीत कौर स्व0 श्री बलवन्त सिंह जाति पंजाबी निवासी बडानयागॉव तहसील हिण्डोली जिला बून्दी ।
2. पिण्डसिंह आत्मज श्री बख्तावर सिंह जाति पंजाबी निवीस बडानयागॉव तहसील हिण्डोली जिला बून्दी ।
3. जगमेल सिंह आत्मज श्री बख्तावर सिंह जाति पंजाबी निवीस बडानयागॉव तहसील हिण्डोली जिला बून्दी ।

———अपीलान्ट

बनाम

1. हरनेक सिंह आत्मज श्री त्रिलोक सिंह जाति पंजाबी निवासी बडानयागॉव तहसील हिण्डोली जिला बून्दी ।
2. मान सिंह आत्मज श्री हरनेक सिंह जाति पंजाबी निवासी बडानयागॉव तहसील हिण्डोली जिला बून्दी (मृतक) जरिये कायममुकामान :–
   2/1. श्रीमती कुलदीप कोर विधवा श्री मानसिंह जाति पंजाबी निवासी बडानयागॉव तहसील हिण्डोली जिला बून्दी ।
   2/2. कमल जीत कोर ।
   2/3. गुरजी कोर
   2/4. संदीप कोर
   2/5. कलती कोर
   2/6. नानकी कोर
   2/7. सर्वजीत कोर
   2/8. निक्की कोर पुत्रियॉ मानसिंह जाति पंजाबी निवीस बडानयागॉव तहसील हिण्डोली जिला बून्दी ।
3. राजस्थान राज्य द्वारा तहसीलदार, हिण्डोली जिला बून्दी ।

———रेस्पोडन्ट

उपस्थित :– 1. श्री कैलाश गुप्ता, अभिभाषक, अपीलान्ट की ओर से ।
2. श्री पुरूषोत्तम पंचोली, अभिभाषक, रेस्पोडेन्ट की ओर से ।

निर्णय

दिनांकः 21.10.2019

1. अपीलान्ट द्वारा उक्त अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, हिण्डोली जिला बून्दी द्वारा पारित निर्णय दिनांक 13.07.2015 के विरूद्ध पेश की गई हैं ।

2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार से हैं कि वादीगण अपीलान्ट ने अधीनस्थ न्यायालय में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 88, 89 एवं 188 के अन्तर्गत ग्राम बडानयागॉव की आराजी खसरा नम्बर 1525 रकबा 13 बिस्वा एवं खसरा नम्बर 1532 रकबा 01 बीघा 07 बिस्वा कुल रकबा 02 बीघा भूमि के सम्बन्ध में वाद प्रस्तुत कर कथन किया कि उक्त भूमि वादीगण के पिता को सैनिक आधार पर आज से लगभग 40 वर्ष पूर्व आवंटित हुई थी तब से उक्त भूमि पर उनका कब्जा काश्त चला आ रहा है । सेटलमेंट की गलती से उक्त भूमि प्रतिवादीगण के खाते में दर्ज हो गई जबकि वादीगण का उक्त भूमि पर लगातार 40 वर्ष पूर्व से कब्जा काश्त चला आ रहा है । वादीगण उक्त भूमि पर कब्जा मुखालफाना के आधार पर खातेदारी अधिकार प्राप्त करने के अधिकारी हो गये हैं ।

3. अतः वादीगण के पक्ष में प्रतिवादीगण के विरूद्ध इस आशय की डिक्री पारित की जावे कि वादग्रस्त आराजी का वादीगण को कब्जा मुखालफाना के आधार पर खातेदार घोषित किया जावे तथा उक्त भूमि प्रतिवादीगण के राजस्व रिकॉर्ड से हटाकार वादीगण का नाम खातेदारी में दर्ज किया जावे तथा प्रतिवादीगण को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द फरमाया जावे कि वे वादीगण के कब्जे काश्त में किसी प्रकार की मदाखलत व मजाहमत नहीं करें ।

4. प्रतिवादी कम 1.2 एवं 3 ने अधीनस्थ न्यायालय में जवाबदावा पेश कर वादीगण के वादपत्र में कहे गये कथनों को अस्वीकार करते हुए वादीगण का वाद खारिज करने का कथन किया ।

5. अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त वाद को लोक अदालत में रखते हुए अपने निर्णय एवं डिक्री दिनांक 13.07.2015 के द्वारा दावा वादीगण खारिज कर दिया ।

6. अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित उक्त अपीलाधीन निर्णय दिनांक 13.07.2015 से व्यथित होकर अपीलान्ट वादीगण ने न्यायालय हाजा में अपील प्रस्तुत कर कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त वाद को लोक अदालत में रखने की अपीलान्टगण को कोई सूचना नहीं दी। अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलान्टगण की अनुपस्थिति में उक्त अपीलाधीन निर्णय पारित किया है । सीपीसी की पालना नहीं की गई है । वादग्रस्त आराजी अपीलान्ट वादीगण का कब्जा काश्त है । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 13.07.2015 निरस्त फरमाया जावे ।

7. अपील अपीलान्ट दर्ज रजिस्टर की गई । अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई । उभय पक्ष के लायक अधिवक्तागण की बहस सुनी गई ।

8. अपीलान्ट के लायक अधिवक्ता ने अपनी बहस में अपील मीमो में कहे गये कथनों को दोहराया और कथन किया कि अपीलान्ट वादीगण ने एक दावा खातेदारी घोषणा एवं स्थायी निषेधाज्ञा का पेश कर कथन किया था कि ग्राम बडानयागॉव की आराजी खसरा नम्बर 1525 रकबा 13 बिस्वा एवं खसरा नम्बर 1532 रकबा 01 बीघा 07 बिस्वा कुल रकबा 02 बीघा भूमि स्थित है । यह आराजी दावा प्रस्तुत करने से 40 वर्ष पूर्व वादीगण के पिता अन्य लोगों के साथ संयुक्त रूप से आवंटित हुई थी । आवंटन के बाद से ही आवंटी व्यक्ति अलग–अलग काश्त करने लग गये । आवंटी व्यक्तियों का देहान्त हो चुका है । वादीगण अपीलान्ट के पिता जिस कृषि भूमि को जोतते थे उसी भूमि को अपीलान्ट जो रहे हैं जिसमें खसरा नम्बर 1525 एवं 1532 भी शामिल है किन्तु राजस्व अधिकारियों ने बन्दोबस्त के समय वादग्रस्त आराजी अपीलान्ट वादीगण के कब्जे काश्त की भूमि प्रतिवादीगण के खाते में दर्ज कर दी । वादीगण कब्जा मुखालफाना के आधार पर खातेदार हो गये हैं । प्रतिवादीगण ने जवाबदाव इंकारी पेश किया है । पत्रावली को लोक अदालत में रखा गया । पक्षकारान की अनुपस्थिति में बहस सुने बिना ही अंतिम निर्णय पारित किया गया है । पक्षकारों को लोक अदालत की कोई सूचना नहीं दी गई थी । दिनांक 15.04.2015 को आगामी तारीख दिनांक 03.06.2015 नियत की गई थी परन्तु अधीनस्थ न्यायालय ने दिनांक 18.05.2015 को वादीगण की अनुपस्थिति में लोक अदालत में दिनांक 13.07.2015 को तारीख पेशी नियत कर दी जिसकी सूचना वादीगण को नहीं दी । लोक अदालत में बिना राजीनामा के गुणावगुण के आधार पर निर्णय पारित किया गया है । तनकियों का निर्णय विधि–विरूद्ध रूप से किया गया है । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 13.07.2015 निरस्त फरमाया जावे ।

9. रेस्पोडेन्ट के लायक अधिवक्ता ने अपनी बहस में कथन किया कि अपीलान्ट वादग्रस्त आराजी के आवंटन की बात करते हैं परन्तु आवंटन का कोई रिकॉर्ड पेश नहीं किया है । रेस्पोडेन्ट वादग्रस्त आराजी के खातेदार हैं । धारा 145 सीआरपीसी के तहत कार्यवाही चली थी जिसका निर्णय हो चुका है । अधीनस्थ न्यायालय में वादीगण की साक्ष्य पूर्ण हो चुकी थी और पत्रावली बहस में लम्बित थी । एक तरफ आवंटन की बात करते हैं दूसरी तरफ कब्जा मुखालफाना के बात करते हैं उक्त दोनों कथन विरोधाभासी हैं । अधीनस्थ न्यायालय ने गुणावगुण के आधार पर तनकीवार विधि सम्मत रूप से दावा वादीगण खारिज किया है । अतः अपील अपीलान्ट सारहीन होने से खारिज फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 13.07.2015 बहाल रखा जावे ।

10. हमने पत्रावली का अधोपान्त अवलोकन किया एवं उभय पक्ष के लायक अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया । अधीनस्थ न्यायालय में पत्रावली पुनः बहस में लम्बित थी और इसमें दिनांक 15.04.2015 से दिनांक 03.06.2015 की तारीख पेशी नियत की गई । दिनांक 03.06.2015 से पूर्व ही दिनांक 18.05.2015 को लोक अदालत हेतु दिनांक 13.07.2015 की तारीख पेशी नियत की गई । लोक अदालत के नोटिस पक्षकारान को जारी किये गये हों इसका कोई साक्ष्य पत्रावली पर उपलब्ध नहीं है । दिनांक 13.07.2015 को अधीनस्थ न्यायालय की आदेशिका के अनुसार उपस्थित पक्षकारान के हस्ताक्षर कराये गये हैं । आदेशिका पर कुछ हस्ताक्षर हो रहे हैं परन्तु ये हस्ताक्षर किस पक्षकार के हैं यह अंकित नहीं किया गया है । दावे में वादी और प्रतिवादी कुल 05 पक्षकार हैं जबकि हस्ताक्षर कुद 04 पक्षकारों के द्वारा किया जाना प्रतीत होता है । पक्षकारों को किसी अभिभाषक व अन्य के द्वारा तस्दीक नहीं किया गया है और उसी दिन गुणावगुण के आधार पर निर्णय पारित करते हुए दावा वादी खारिज किया गया है ।

सीपीसी की पालना नहीं की गई है । इस दृष्टि से अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय त्रुटिपूर्ण है। हम इस प्रकरण को सुनवाई का अवसर प्रदान करते हुए नये सिरे से विधि सम्मत रूप से निर्णय पारित किया जाना उचित समझते हैं ।

11. अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 13.07.2015 निरस्त किया जाता है । प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि उभय पक्ष की बहस सुनी जाकर नये सिरे से पत्रावली प्राप्ति के 02 माह के अन्दर विधि सम्मत रूप से निर्णय पारित करें । पक्षकारान को पाबन्द किया जाता है कि वे दिनांक 09.12.2019 को अधीनस्थ न्यायालय में उपस्थित हों ।

12. निर्णय आज दिनांक 21.10.2019 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

21/10/19

(भागवंती जेठवानी)
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा